

अधिसूचना

बिहार, पटना, दिनांक 11/4/22

अधिसूचना संख्या-ई2-2-17/2015- 19 वित्त विभाग, बिहार, पटना के सकल्प सं०-7566 दिनांक 14 07.2010 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त 'रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना 2010' में निहित प्रावधानों एवं दिनांक 23 03 2022 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ वेतन स्तर-12 (अपुनरीक्षित पी0बी0-3, ₹7600/-) में प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (2nd MACP) की स्वीकृति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री मनोज कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय	11.12 2020	
2	श्री राजीव रजन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर	30 11 2020	
3	श्री रौशन अली, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण	17 11 2020	
4	श्री रत्नाम्बर निलय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना	16 11 2020	
5	श्रीमती श्वेता कुमारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर	17 11 2020	
6	श्रीमती प्रियका सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद	18 11.2020	
7	श्री राजेन्द्र कुमार कर्मशील, तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद संप्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 31.10 2019)	10 07 2010	

2. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन नियतिकरण वित्त विभाग का सकल्प सं०-7566 दिनांक 14 07 2010 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

3 इस वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के पश्चात् भविष्य में यदि किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा गणना या टंकण की भूल के कारण गलत भुगतान हो जाता है या अकक्षेण द्वारा आपत्ति की जाती है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन कर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 ई०।

ज्ञापक - ई2-2-17/2015- 1594

प्रतिलिपि - महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक - ई2-2-17/2015-

1594

पटना, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 ई०।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित सभी पदाधिकारी/श्री सुबोध कुमार सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु०)-सह-निकासी एव ब्ययन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा/स्थापना शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक - ई2-2-17/2015-

1594

पटना, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 ई०।

प्रतिलिपि :- उप सचिव, ई गजट, कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को 2 (दो) हार्ड कॉपी एव सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।



(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)

सरकार के संयुक्त सचिव।